(30)

## न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

**समक्ष : मनोज गोयल,**
**प्रशासकीय सदस्य**

निगरानी प्रकरण कमांक 1665–तीन/2014, विरूद्ध आदेश दिनांक 27–05–2014 पारित द्वारा न्यायालय तहसीलदार, लवकुश जिला छतरपुर द्वारा प्रकरण कमांक निगरानी 33/अ–27/2012–13

1–राजकिशोर पुत्र स्व.बृजगोपाल चौरसिया
2–रामकिशोर पुत्र स्व.बृजगोपाल चौरसिया
3–नरेश पुत्र स्वं बृजगोपाल चौरसिया
4–अखिलेश पुत्र स्वं. बृजगोपाल चौरसिया
5–श्रीमती सुधा पुत्री स्वं. बृजगोपाल चौरसिया
6–श्रीमती हंसी बेवा स्वं. बृजगोपाल चौरसिया
समस्त निवासीगण चौरसिया मौहल्ला लवकुश नगर,
जिला छतरपुर म0प्र0

..... आवेदकगण

विरूद्ध

1–रामगोपाल पुत्र श्री नथुआ चौरसिया
2–वंशगोपाल पुत्र श्री नथुआ चौरसिया
3–श्रीमती सुमित्रा चौरसिया पुत्री नाथूराम चौरसिया
(मृत वारिसान) लक्ष्मीदेवी
4–श्रीमती भगवती पुत्री नाथूराम चौरसिया
(मृत वारिसान) पुत्र ओमप्रकाश
5–श्रीमती कौशल्या पुत्री नाथूराम चौरसिया
समस्त निवासीगण चौरसिया मौहल्ला लवकुश नगर,
जिला छतरपुर म0प्र0

..... अनावेदकगण

.....

श्री के0के0द्विवेदी, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री एस0के0 श्रीवास्तव, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 1 व 2
श्री मुकेश भार्गव, अभिभाषक अनावेदक कमांक 3

.....

## :: आ दे श ::

( आज दिनांक 10/12/15 को पारित )

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा भू–राजस्व संहिता, 1959 ( जिसे केवल संहिता कहा जायेगा ) की धारा 50 के अंतर्गत न्यायालय तहसीलदार, लवकुश जिला छतरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–05–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अनावेदक कमांक 1 व 2 द्वारा तहसीलदार लवकुश नगर के समक्ष एक आवेदन पत्र इस आशय से प्रस्तुत किया कि भूमि खसरा नम्बर 1468 रकवा 2.969 हेक्टर एवं खसरा नम्बर 1637 रकबा 0.926 हेक्टर मौजा लौडी में उनका हिस्सा 1/3, 1/3 है, सुधार किया जाये क्योंकि इस भूमि के संबंध में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 लौडी द्वारा उनके पक्ष में आदेश दिनांक 31–3–2008 पारित किया है अतः उक्त आदेश के पालन में राजस्व अभिलेखों में दुरूस्त किया जाये । तहसीलदार लवकुशनगर द्वारा विचाराधीन पारित आदेश दिनांक 24–7–13 से अनावेदकगण का नाम अभिलेख में दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई जो प्रकरण कमांक 212/2012–13 पर दर्ज की जाकर विचाराधीन पारित आदेश दिनांक 3–4–2014 से निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 3–4–14 के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जो प्रकरण कमांक 296/अ–89/2013–14 पर दर्ज की गई जिसमें तहसीलदार लवकुशनगर एवं अनुविभागीय अधिकारी लवकुशनगर के आदेशों पर स्थगन की मॉग की गई जिस पर अपर आयुक्त सागर संभाग सागर द्वारा सुनवाई की जाकर स्थगन आवेदन पत्र निरस्त किया । अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के यहॉ प्रकरण विचाराधीन रहते हुये माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के समक्ष अपील प्रकरण कमांक 155/2010 विचाराधीन रहते हुये अनावेदक कमांक 1 व 2 द्वारा पुनः एक नया आवेदन पत्र तहसीलदार के समक्ष दिया जिस पर प्रकरण कमांक 33/अ–27/2012–13 दर्ज किया तथा उल्लेख किया कि अधीनस्थ न्यायालयों तहसीलदार व अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त सागर संभाग सागर द्वारा स्थगन आदेश नहीं दिये गये है ऐसी स्थिति में व्यवहार न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश के पालन में विवादित भूमि का बटवारा किया । इस आवेदन पत्र का आवेदकगण का जबाव प्रस्तुत किया एवं प्रकरण की प्रचलनशीलता पर आपत्ति प्रस्तुत की। अनावेदक कमांक 1 व 2 के बटवारा आवेदन विचार योग्य नहीं है क्योंकि इसी भूमि के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ जबलपुर के द्वितीय अपील प्रकरण कमांक 155/2010 विचाराधीन है जिसमें माननीय उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश है ऐसी स्थिति में राजस्व न्यायालयों द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती परन्तु तहसीलदार लवकुशनगर द्वारा प्रकरण में कार्यवाही करते हुये 27–5–14 जो अंतरिम आदेश पारित

किया है वह अनुचित है जिससे व्यथित होकर आवेदकगण द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा लिखित तर्को में मुख्य रूप से यह बताया गया है कि विवादित भूमि के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश दिनांक 19–7–2013 पारित किया है । ऐसी स्थिति में तहसीलदार लवकुश नगर द्वारा प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है । इस आशय की आपत्ति आवेदकगण की ओर से अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत की गई थी जिस पर उनके द्वारा विचार न कर आदेश पारित किया गया जो सही नहीं है । तर्क में यह भी बताया कि विवादित भूमि आवेदकगण के स्वत्व स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि है जिस पर आवेदकगण का निरन्तर कब्जा चला आ रहा है । ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय तहसीलदार द्वारा कार्यवाही किये जाने का कोई औचित्य नहीं है । तहसीलदार का यह निष्कर्ष कि राजस्व न्यायालय आयुक्त सागर संभाग सागर द्वारा प्रकरण में कोई स्थगन आदेश पारित नहीं किया एवं व्यवहार न्यायालय की डिक्री अनावेदकगण के पक्ष में है ऐसी स्थिति में बटवारा कार्यवाही को स्थगित किये जाने का कोई औचित्य नहीं है । उपरोक्त विवादित भूमि के संबंध में आयुक्त सागर संभाग सागर द्वितीय अपील विचाराधीन है इसके अलावा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा अपील प्रकरण कमांक 155/2010 में आवेदकगण के हित में स्थगन आदेश दिनांक 19–7–2013 पारित किया गया है ऐसी स्थिति में तहसीलदार लवकुशनगर द्वारा बटवारा कार्यवाही प्रचलन योग्य नहीं है एवं माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना की श्रेणी में आता है । इस वैधानिक तथ्य पर विचार किये बिना जो विचारण न्यायालय तहसीलदार द्वारा कार्यवाही की जा रही है वह निरस्त किये जाने योग्य है। अंत में आवेदकगण के अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया कि निगरानी स्वीकार कर तहसीलदार न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–5–2014 अपास्त किया जाकर तहसीलदार लवकुशनगर जिला छतरपुर को यह निर्देशित किया जावे कि वह माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश को मान्यता प्रदान कर अपने न्यायालय के समक्ष विचाराधीन कार्यवाही को माननीय उच्च न्यायालय के निराकरण तक स्थगित किये जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करने का अनुरोध किया ।

4/ अनावेदकगण के अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में बताया कि माननीय उच्च न्यायालय एवं अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय से किसी भी प्रकार का कोई भी स्थगन बटवारा के संबंध में नहीं दिया गया है । माननीय व्यवहार न्यायालय के आदेश के पालन में तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में प्रचलित अपील का भी निराकरण हो चुका है । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के न्यायालय में लंबित है । जिसमें भी कोई स्थगन जारी नहीं किया गया है । स्थगन न होने की दशा में तहसीलदार लवकुशनगर के समक्ष प्रचलित प्रकरण में बटवारे की कार्यवाही को रोका जाना औचित्यहीन है तथा इसी आधार पर राजकिशोर द्वारा प्रस्तुत अंतरिम आवेदन तहसीलदार द्वारा अपने विवादित आदेश दिनांक 27–5–14 से खारिज किया गया है । आवेदक द्वारा तहसीलदार के समक्ष प्रचलित कार्यवाही को विभिन्न प्रयासों से रोके जाने प्रयत्न किया गया है इससे प्रतीत होता है कि आवेदक बंटवारा कार्यवाही को प्रभावित करने का असफल प्रयास कर रहे हैं । तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक 16–9–13 से बटवारे की कार्यवाही प्रारंभ करते हुये दिनांक 17–6–14 तक अंतिम आदेश पारित हो जाने की स्थिति में पहुॅच गई है इस स्तर पर उनकी कार्यवाही निरस्त करने का कोई औचित्य नहीं है । अतः तहसीलदार द्वारा प्रचलित कार्यवाही को निरन्तर जारी रखते हुये आवेदक द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत निगरानी आवेदन को खारिज किये जाने का अनुरोध किया ।

5/ मैंने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश का सूक्ष्मता से अध्ययन किया गया । प्रकरण में उभयपक्ष के मध्य बंटवारे का विवाद है । उभयपक्ष के मध्य हिस्से को लेकर माननीय उच्च न्यायालय में प्रकरण कमांक द्वितीय अपील कमांक 155/2010 में दिनांक 19–7–2013 को अंतरिम आदेश पारित किया है । जिसमें निम्नानुसार आदेश दिये हैं – "Learned senior counsel submitted that the respondents are trying to create third party interst in respect of the suit land.

In view of the aforesaid submission and in view of the law laid down in Maharwal Khewaji Trust (Regd.) Faridkot vs. Baldev Dass, (2004) 8 SCC 488, it is directed that the respondents shall not create any third party interst in respect of the suit land till next date of hearing.

C.C. as per rules.

स्पष्ट है कि माननीय उच्च न्यायालय ने प्रकरण में यथास्थिति के आदेश दिये हैं जिनका पालन राजस्व न्यायालयों पर बंधनकारी है । ऐसी स्थिति में तहसील का आदेश दिनांक 27–05–2014 निरस्त किया जाता है । तहसीलदार के समक्ष धारा 178 की कार्यवाही माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रकरण के निराकरण तक स्थगित की जाती है । उक्त निर्देशों के साथ यह प्रकरण समाप्त किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर